



मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
MOHANLAL SUKHDIA UNIVERSITY, UDAIPUR

क्रमांक—मोलासुवि/गोपनीय/2020/1503

दिनांक— 01.07.2020

केन्द्राधीक्षकों हेतु निर्देश

दिनांक 08.07.2020 से प्रारम्भ होने वाली शेष परीक्षाओं के संदर्भ में केन्द्राधीक्षकों हेतु कोरोना 'कोविड-19' महामारी से फैलने वाले सम्भावित संक्रमण से बचाव तथा अन्य व्यवस्थाओं बाबत् निर्देशः—

1. स्नातक के सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर के पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध के शेष रहे प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं दिनांक 08.07.2020 से विश्वविद्यालय की वेब साईट www.mlsu.ac.in पर जारी समय सारिणी के अनुसार प्रारम्भ की जाएंगी। परीक्षा की अवधि निर्धारित 3 (तीन) घन्टे के स्थान पर 2 (दो) घन्टे कर दी गई है तथा प्रश्न पत्र के खण्ड 'अ' 'ब' एवं 'स' में से खण्ड 'स' को विलोपित कर दिया गया है, अतः परीक्षार्थियों को केवल खण्ड 'अ' एवं 'ब' के प्रश्नों को ही हल करना है, तदानुसार उत्तरपुस्तिकाओं के पूर्णांक/प्राप्तांकों को आनुपातिक रूप से परिवर्तित कर परिणाम जारी किया जाएगा।
2. विधि संकाय के परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र दो खण्ड में होगे जिसमें से खण्ड 'अ' के सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे तथा खण्ड 'ब' में से कोई 4 (चार) प्रश्न के स्थान पर केवल कोई 2 (दो) प्रश्न ही हल करने हैं, तदानुसार उत्तरपुस्तिकाओं के पूर्णांक/प्राप्तांकों को आनुपातिक रूप से परिवर्तित कर परिणाम जारी किया जाएगा।
3. बिंदु 1 व 2 के अन्तर्गत प्रश्न पत्रों के खण्ड विभाजन में किए गए परिवर्तन का परीक्षार्थियों की सूचनार्थ एक सील बनवा कर आपको भिजावायी गई है, यह सील प्रति दिन, प्रत्येक प्रश्न पत्र पर वितरण से पुर्व लगवा देवें।
4. निर्देशानुसार सम्बंधित सभी परीक्षार्थियों को उनके सम्बंधित परीक्षा केन्द्रों पर सामाजिक दुरी (Social Distancing) की पालना करते हुए अपना प्रवेश पत्र, मास्क, सेनेटाईजर एवं पानी की बोतल साथ लेकर परीक्षा के निर्धारित समय से 01 (एक) घन्टा पूर्व पहुँच कर थर्मल स्कैनिंग करवा कर तुरन्त परीक्षा कक्ष में अपना आवंटित स्थान ग्रहण करना होगा।
5. सामाजिक दुरी, निसंक्रमण (Sanitizer) तथा 'कोविड-19' से सम्बंधित अन्य निर्देशों की पालना नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इत्यादि एवं किसी भी प्रकार के नशे से सम्बंधी वस्तु यथा पान, गुटखा, तम्बाकू, सुपारी, बीड़ी—सिगरेट अपने साथ नहीं लेकर आयेंगे।
7. परीक्षा केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक कर्मचारी एवं परीक्षार्थियों से सामाजिक दुरी (Social Distancing) की अनिवार्य रूप से पालना करवाएं।
8. परीक्षा की प्रत्येक पारी में नियंत्रण कक्ष, परीक्षा कक्षों तथा शौचालयों का सेनिटाइजेशन करवाएँ। साथ ही परीक्षार्थियों/वीक्षकों आदि के हाथ सेनिटाइजेशन करने के लिए सेनिटाइजेशन बोतल प्रत्येक परीक्षा कक्ष के वीक्षक को दी जावे जिससे कि वीक्षक परीक्षार्थियों के कक्ष में स्थान ग्रहण करने के पुर्व हाथों को सेनिटाइज करवा सकें। इसके तहत प्रत्येक छ: परीक्षा दिवसों हेतु Rs. 700/- (सात सौ रुपये) मात्र की दर से तथा सेनिटाइजेशन का कार्य करने वाले एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को Rs. 100/- (एक सौ रुपये) मात्र प्रति परीक्षा सत्र की दर से राशि का भुगतान किया जाएगा।
9. परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय नियमों की अक्षरशः पालना करवाये।
10. नवीनतम् समय सारिणी अनुसार प्रश्न—पत्रों के लिफाफों पर समय, वार एवं तिथि संशोधित करवाएँ।
11. परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था भी सुरक्षा की दृष्टि से बदल दी जावे जैसे पूर्व में जिस कक्ष की क्षमता 30 थी उसमें 20-24 परीक्षार्थी ही बैठाए जाए, इस प्रकार विभिन्न क्षमता वाले कमरों में इस अनुपात में बैठक व्यवस्था की जावें।
12. कृपया यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा कक्षों में लगे सभी सी.सी.टी.वी. केमरे चालू हों तथा केमरों के माध्यम से परीक्षा के दौरान निगरानी रखने हेतु समय—समय पर जाँच करते रहें।

(डॉ. आर.सी. कुमावत)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. श्रीमान् केन्द्राधीक्षक.....।
2. श्रीमान् कुल सचिव, मोलासुविवि, उदयपुर।
3. श्रीमान् वित नियंत्रक, मोलासुविवि, उदयपुर।
4. समन्वयक, विश्वविद्यालय उडनदस्ता, पर्यावरण विज्ञान, विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, मोलासुविवि, उदयपुर।

*NOVEMBER
01/07/2020*
(लक्ष्मण लाल रेगर)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
गोपनीय